बिहार सराकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग बिहार, पटना

(पशुपालन)

कार्यालय :– जिला पशुपालन पदाधिकारी, जमुई।

मेडिसिनल एवं ननमेडिसिनल सामग्री के क्रय हेतु

पुर्नः निविदा–सूचना

जिला पशुपालन पदाधिकारी, जमुई के अधीन विभिन्न पशु चिकित्सालयों/औषधालयों/एम्बुलेट्री भान एवं अन्य में उपयोग हेतु विभाग द्वारा चिन्हित वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्राप्त आवंटन/प्राप्त होने वाली आवंटन से अनुमानित लागत पर मेडिसिन ,केमिकल्स आदि का क्रय के लिए दर निर्धारण हेतु निविदा प्रकाशन के तिथि से 21 (इक्कीस) दिनों के अन्दर अपराहन् 5 बजे तक में द्विलिफाफा पद्धति के आधार पर दवा निर्माणक/उनके प्राधिकृत आपूर्तिकर्त्ता से निविदा आमंत्रित की जाती है। सीलबंद लिफाफा के ऊपर " तकनीकी निविदा " तथा "वित्तीय निविदा" अंकित कर इन दोनों लिफाफे को एक बड़ा लिफाफा में सीलबंद कर स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक/हाथों–हाथ निर्धारित तिथि तथा समय तक में जिला पशुपालन कार्यालय में प्राप्त किया जायेगा। प्राप्ति के दूसरे कार्यदिवस को 11.00 बजे पूर्वाहन् में जिला स्तर पर गठित तकनीकी निविदा समिति के समक्ष इन्हें खोलकर दर तथा आपूतिकर्त्ता का निर्धारण किया जायेगा जिसमें निविदादाता के प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति वांछित है। निविदादाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि के उपस्थित नहीं होने पर क्रय समिति अपने विवेकानुसार निर्णय लेने को स्वतंत्र होगी। तकनीकी रूप से सफल निविदादाता के ही वित्तीय लिफाफा को ही समिति एंव निविदा प्रतिनिधियों के समक्ष खोला जायेगा। निविदा की विस्तृत शर्ते दवा की विशेषताएं तथा दवाओं की सूची को विभागीय वेवसाइट www.ahd.bih.nic.in पर अथवा जिला पशुपालन कार्यालय, जमुई के सूचना पट्ट पर किसी कार्यदिवस को देखा जा सकता है। पुर्व में PR 4912 (Animal & fish) 2017-18 के द्वारा प्रकाशित निविदा को पुर्नः प्रकाशित किया जा रहा है।

जिला पशुपालन पदाधिकारी ,

जमुई।

भाग–1

कार्यालय :– जिला पशुपालन पदाधिकारी, जमुई।

मेडिसिनल एवं ननमेडिसिनल सामग्री के क्रय के हेतु विस्तृत विवरणी

जमुई जिलान्तर्गत विभिन्न पशुचिकित्सालयों/औषधालयों/एम्बुलेटरी भान में उपयोग हेतु मेडिसिनल एवं ननमेडिसिनल सामग्री आदि का क्रय हेतु निविदा शर्ते।

प्रतिष्ठित निर्माणक कम्पनियां/फर्म/उनके प्राधिकृत आपूर्तिकर्ता निविदा में भाग ले सकते है।

1. मेडिसिनल एवं ननमेडिसिनल सामग्री आदि के दर तथा आपूर्तिकर्ता का निर्धारण सीलबन्द द्विलिफाफा पद्धति के आधार पर किया जाएगा। अलग–अलग सीलबन्द लिफाफा में "तकनीकी निविदा " तथा " वित्तीय निविदा " अंकित कर इन्हे एक बड़े सीलबन्द लिफाफा में प्रस्तुत करना होगा जिस पर " जिला पशुपालन पदाधिकारी, जमुई निविदा हेतु " लिखित होना चाहिए।

2. निविदायें स्पीड पोस्ट/निबंधित पोस्ट/हाथों–हाथ द्वारा दैनिक समाचारपत्रों में प्रकाशन के तिथि को मिलाकर, 21 वें दिन तक में जिला पशुपालन कार्यालय, जमुई में प्राप्त किया जाएगा। विलम्ब से प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

3. तकनीकी निविदा में सामग्रियों के उत्पादन का लाइसेंस, GMP/ISO प्रमाण–पत्र विगत तीन वर्षो का इनकम टैक्स रिटर्न/अद्यतन ऑडिटेड बैंलेस सीट/पैन कार्ड/नन कनभिक्शन सर्टिफिकेट, वार्षिक टर्न ओवर की स्वअभिप्रमाणित प्रति एवं वैध बिक्री कर क्लीयरेस प्रमाण पत्र/VAT clearance प्रमाण पत्र होना चाहिए।

4. निविदादाता को इस आशय का मूल शपथ–पत्र दायर करना होगा कि वे किसी सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्थान द्वारा बिहार अथवा अन्य राज्यों द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं है।

5. निविदादाता को रू0 (5000) पाँच हजार रूपये का अर्नेस्ट मनी की राशि के रूप में डिमांड डाफ्ट जमा करना होगा जो जिला पशुपालन पदाधिकारी, जमुई के नाम से जमुई में भुगतेय होना चाहिए।

6. असफल निविदादाता का अर्नेस्ट मनी की राशि उनके अनुरोध पर लौटा दी जाएगी जबकि सफल निविदादाता के अर्नेस्ट मनी की राशि उनके द्वारा संतोषजनक सामग्री आपूर्ति तक रोक रखी जाएगी। अर्नेस्ट मनी की जमा राशि पर किसी प्रकार का सूद देय नही होगा।

7. सभी कागजात के सभी पृष्ठ स्वअभिप्रमाणित होनी चाहिए तथा निविदा की सभी शर्तों को मान्य होने का प्रमाण–पत्र देना होगा।

8. तकनीकी रूप से सफल निविदादाता का ही वित्तीय लिफाफा क्रय समिति द्वारा खोलकर विचार किया जाएगा।

9. आपूर्ति आदेश मिलने पर सभी सामग्रियों को क्रयादेश द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्दर आपूर्ति करना होगा।

10. जिला पशुपालन पदाधिकारी, जमुई के आपूर्ति आदेशानुसार जिला पशुपालन कार्यालय में सामग्री की आपूर्ति करनी होगी जिसके लिए कोई परिवहन खर्च आदि देय नहीं होगा। सामग्री प्राप्ति के बाद भुगतान जिला पशुपालन पदाधिकारी, जमुई के कार्यालय द्वारा संगत मद में उपलब्ध आवंटन की राशि से किया जाएगा।

11. निविदादाता को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि इस निविदा के लिए उनके द्वारा प्रस्तुत दर बिहार के अन्य जिलों में उनके द्वारा प्रस्तुत दर से अधिक नही है।

12. निविदा सूचना में अंकित दवा के Generic Name के अतिरिक्त किसी अन्य नाम के दर का टेंडर अमान्य होगा।

13. आपूरित सभी सामानों के हरेक पैकेट पर Not for sale, For Bihar Govt. use only लिखा होना चाहिए।

14. दवा का एक्सपाइरी डेट आपूर्ती के समय न्यूनतम 18 महीने होना चाहिए।

15. भुगतान के समय ही श्रोत पर देय GST की राशि की कटौती कर ली जाएगी। GST से छूट प्राप्त करने के लिए आपूर्तिकर्ता को वाणिज्य कर विभाग/सक्षम प्राधिकार से इस निविदा के संदर्भ में आपूर्ति किये जाने वाली सामग्रियों हेतु समक्ष प्राधिकार द्वारा निर्गत इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा आपूर्ति की गयी सामग्रियों का अग्रिम भुगतान कर दिया गया है तथा उन्हे इस मामलें में GST का भुगतान नहीं किया जाना है।

16. इस निविदा द्वारा निर्धारित दर तथा आपूर्तिकर्ता वित्तीय वर्ष 2017–18 तक मान्य होगें। इस बीच विभाग द्वारा संसूचित किसी आयटम का निर्धारित दर यदि इस निविदा के निर्धारित दर से कम होगा तो उस आयटम का निर्धारित दर तथा आपूर्तिकर्ता स्वतः समाप्त समझे जायेगें।

17. जिला पशुपालन पदाधिकारी, जमुई कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के बिना कारण बताए इस निविदा को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

18. निर्धारित दर पर पूरी मात्रा में सामानों की आपूर्ति नही कर पाने अथवा एक से अधिक निविदादाता का सामग्री के न्यूनतम दर की स्थिति में विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं के बीच आपूर्ति आदेश विभक्त किया जा सकता है।

19. निर्माण कम्पनियां/फर्मो/उनके प्राधिकृत आपूर्तिकर्ता के GST निबंधन संबंधी प्रमाण–पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करना है।

20. निविदा अनुमोदित होने के पश्चात् सामग्री का भौतिक सत्यापन होने के पश्चात् ही क्रयादेश निर्गत किया जायेगा।

21. किसी भी प्रकार का वैधानिक मामला जमुई जिला के क्षेत्राधीन होगा।

<u>वित्तीय भागः–</u>

1. प्रत्येक सामग्री के लिए अलग–अलग उनका कम्पनी दर एम0आर0पी0 GST तथा कुल आपूर्ति दर अंकित करना होगा।

2. अंकित दर के अलावा अन्य कोई भी राशि (परिवहन–व्यय आदि) देय नहीं होगा।

जिला पशुपालन पदाधिकारी
जमुई।